ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

परिपत्र सं0:डीजी–51/2018
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
दिनांक:लखनऊ:अक्टूबर 03, 2018

प्रिय महोदय

जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बढ रही पुलिस की चुनौतियों, उत्तरदायित्वों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून व्यवस्था एवं अपराध के पृथक्करण के संबंध में समय–समय पर दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या–डीजी–30/2018 दिनॉक 13–06–2018 द्वारा प्रदेश के थानों में प्रभारी निरीक्षक(भारसाधक अधिकारी) के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक(प्रशासन), प्रभारी निरीक्षक(अपराध), प्रभारी निरीक्षक (कानून–व्यवस्था) के पद पर अतिरिक्त निरीक्षकों की तैनाती के संबंध में उनके कार्य एवं दायित्व का निर्धारण करते हुये विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में समस्त जोन से प्राप्त की गयी अनुपालन आख्या एवं सुझावों के परीक्षण से पाया गया कि नयी व्यवस्था को लागू करने से कई जनपदों में व्यवहारिक कठिनाइयॉ प्रकाश में आयी हैं। ज्यादातर जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा लागू की गयी व्यवस्था में सुधार किये जाने हेतु थानों पर प्रभारी निरीक्षक(भारसाधक अधिकारी) के अतिरिक्त 01 अन्य निरीक्षक की तैनाती का सुझाव दिया गया है।

3. मुख्यालय स्तर पर समस्त जोन से प्राप्त की गयी अनुपालन आख्याओं एवं सुझावों पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था के संचालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से निर्गत किये गये परिपत्र संख्या–डीजी–30/2018 दिनॉक 13–06–2018 को निरस्त करते हुये थानों पर प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है:–

4 जिन थानों पर प्रभारी निरीक्षक(भारसाधक अधिकारी) स्तर के अधिकारी तैनात हैं, उन थानों पर 01 अतिरिक्त निरीक्षक तैनात किये जायेंगे, जिसे **"निरीक्षक अपराध"** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। निरीक्षक अपराध थाने के प्रभारी निरीक्षक(भारसाधक अधिकारी) से वरिष्ठ नहीं होगा।

6. **अतिरिक्त निरीक्षक अपराध के प्रस्तावित कर्तव्य निम्नवत होंगे:–**

1– थाना क्षेत्र में घटित गम्भीर व महत्वपूर्ण अपराधों की विवेचना।
2– अपराधों की रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्यवाही।
3– प्रभारी निरीक्षक के अनुमोदन से थानों पर नियुक्त अधीनस्थ विवेचकों को विवेचनाओं का आवंटन ।
4– किसी अपराध के घटित होने की सूचना पर अविलम्ब विवेचनात्मक कार्यवाही यथा घटना स्थल का निरीक्षण, घटना स्थल का सुरक्षित किया जाना, पंचनामा, पोस्टमार्टम व एफएसएल आदि को भेजे जाने वाली सामग्री खून आलूदा मिट्टी, छर्रे आदि को कब्जे में लेकर तत्काल जॉच हेतु भेजना।
5– अधीनस्थ विवेचकों की केस डायरी का अवलोकन कर विवेचना को तत्परता व गुणदोष के आधार पर निस्तारित कराने के लिए निरंतर पर्यवेक्षण।
6– समय से गुणवत्तापरक विवेचना सुनिश्चित कराते हुए न्यायालय में आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करना।
7– न्यायालय से प्राप्त होने वाले सम्मन वारन्ट व अन्य प्रोसेस का तामीला तथा न्यायालय में गवाहों/विवेचकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

Scanned by CamScanner

8– न्यायालय में विचाराधीन मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए काजलिस्ट को अद्यावधिक रखना तथा पैरोकारें के कार्यों का पर्यवेक्षण।

9– थाने के अपराध सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख–रखाव एवं अद्यावधिक किया जाना।

10– विशिष्ट प्रकार के अपराधों की विवेचना यथा साईबर अपराध, आतंकवादी घटना आदि की विवेचना में जिले की क्राइम ब्रान्च को थाने से पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

11– जिले की क्राइम ब्रान्च, सर्विलान्स सेल, अभिसूचना शाखा, स्वाट टीम से समन्वय।

12– फील्ड यूनिट को घटनास्थल पर बुलाकर अपने निकट पर्यवेक्षण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना। लखनऊ व आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में समय से प्रदर्श जॉच हेतु भेजना एवं जॉच रिपोर्ट मंगाना।

13– प्रभारी निरीक्षक की अनुपस्थिति में दिन व रात्रि में थाने पर मौजूद रहकर उक्त अवधि में प्रभारी निरीक्षक(भारसाधक अधिकारी) के पदेन दायित्वों का पूर्णतयाः निवर्हन करना।

14– वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कानून व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी डियूटी।

15– प्रभारी निरीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन।

5. यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भार साधक अधिकारी के रूप में प्रभारी निरीक्षक के कर्तव्य व अधिकार पुलिस रेगुलेशन में पूर्व से ही निर्धारित हैं। निरीक्षक अपराध को उपरोक्तानुसार सौंपे गये उत्तरदायित्व प्रभारी निरीक्षक को पूर्ववत आवंटित कार्यो से किसी प्रकार की छूट प्रदान नही करते हैं। वह थाने के अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति के व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक/जोन के अपर पुलिस महानिदेशकगणों द्वारा परिक्षेत्रीय व जोनल स्तर पर निरीक्षकों की तैनाती में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि उनके परिक्षेत्र व जोन के जनपदों में कनिष्ठ व वरिष्ठ निरीक्षकगण आवश्यक संख्या में तैनात किये जायें ताकि निरीक्षक अपराध जो प्रभारी निरीक्षक से कनिष्ठ होगा की थानों में तैनाती में कोई कठिनाई न हो।

7. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार जनपदों में जिन थानों में प्रभारी निरीक्षक(भारसाधक अधिकारी) स्तर के अधिकारी तैनात हैं, वहॉ उनके अधीनस्थ 01 अतिरिक्त निरीक्षक अपराध की तैनाती करते हुये प्रस्तावित किये गये कर्तव्यों के अनुसार कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करायें। जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से संबंधित प्रभारी पुलिस अधिकारी "निरीक्षक अपराध" के कार्यों का पर्यवेक्षण समय–समय पर अपने स्तर से करते रहें तथा इस संबंध में यदि कोई व्यवहारिक कठिनाई परिलक्षित होती है, तो उसका अपने स्तर से निवारण भी करायें।

8– यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू किये जाते हैं। इसका जनपद स्तर पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाए।

भवदीय,

3.X.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner